सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No NCST/SER-1275/MPOW/6/2024-SSW Dated: 09.10.2024

To,

Shri V. K Dewangan
Chairman & Managing Director
Rural Electrification Corporation Ltd
Plot No. I-4,Sector 29,
Gurugram (Haryana)- 122001
Email :-cmd@recl.in Phone – 0124-4441300

Sub:- Harassment of ST employee by the Management of REC Ltd. Gurugram - a rep. dated 15.02.2024 of Shri Mahesh Kumar Meena, District-Dausa (Rajasthan).

महोदय,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST on 12.09.2024 at 4:20 PM in National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003 on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be intimated to NCST within stipulated time from receipt of the letter for placing it before the Hon'ble Member.

Yours faithfully,

(H.R. Meena)
Research Officer
Tel:- 011-24641640

Copy for information :-

1. Shri Mahesh Kumar Meena
   Dhyawana Ki Dhani Baswa,
   Village & Post - Baswa,
   District-Dausa (Rajasthan) - 303327
   (Email: maheshbaswa01@gmail.com)
   (Mobile No:9772033690)
2. PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra), NCST.
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body exercising powers of Civil Courts under Article 338A of the Constitution of India)

डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2024 को शाम 04:20 बजे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में श्री महेश कुमार मीना, जिला-दौसा को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण से REC द्वारा हटाये जाने के संबंध में की बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल: NCST/SER-1275/MPOW/6/2024-SSW

बैठक की तिथि : 12.09.2024, समय 04:20 बजे

प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्री महेश कुमार मीना, जिला-दौसा ने अपनी याचिका दिनांक 15.02.2024 के माध्यम से आरोप लगाया है कि उन्होंने 13.04.2022 को REC में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शुरू किया तथा एक महीने की सेवा के पश्चात REC ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ST उम्मीदवार होने के कारण उन्हें REC द्वारा हटा दिया गया है । उन्होंने REC में पुनः नियुक्ति तथा बकाया वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया।

2. उपरोक्त प्रकरण को आयोग के पत्र दिनांक 20.3.2024 द्वारा Chairman-Cum-Managing Director, Rural Electrification Corporation Ltd को 30 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। REC लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 09.04.2024 द्वारा आयोग को सूचित किया कि आवेदक का कांट्रैक्ट ऑनलाइन NAPS पोर्टल के माध्यम से जनरेट नहीं हो सका क्योंकि उनके पास eKYC सत्यापन के लिए वैध आधार नंबर नहीं था। आयोग के पत्र दिनांक 18.04.2024 के माध्यम से REC Ltd का पत्र आवेदक को सूचना हेतु भेज दिया गया । आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 10.07.2024 के माध्यम से असंतुष्टि व्यक्त करते हुये न्याय की मांग की।

3. आयोग ने इस प्रकरण मे 12.09.2024 को 04:20 बजे Chairman-Cum-Managing Director, Rural Electrification Corporation Ltd. और याचिकाकर्ता के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया। जिसकी सूचना आयोग के सिटिंग नोटिस दिनांक 05.09.2024 के द्वारा संबंधित अधिकारी एंव याचिका कर्ता को दी गई।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. CMD, REC एवं याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए। REC के सीएमडी ने आरईसी द्वारा आयोग को भेजे गए पूर्व पत्रों के तथ्यों को दोहराया। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने सीबीआई से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण भी लिया था। यह प्रशिक्षण उन ग्रेजुएट के लिए है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों के भीतर ग्रेजुएशन किया हो और इसे आगे संशोधित करके 5 वर्ष कर दिया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता ने 2008 में ग्रेजुएशन किया था, इसलिए वह अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आयोग निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा आग्रह किया की 30 दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करें –

- REC लिमिटेड के NAPS और NATS पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लागू नियमो का विवरण उपलब्ध कराएं।
- REC में दिनांक 31.03.2024 तक ग्रेडवार कुल कर्मचारी तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का विवरण प्रदान करें।
- मानवीय आधार पर आवेदक के प्रकरण में पुनर्विचार करने का कष्ट करें।

आशा लकड़ा
09/10/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
नई दिल्ली

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

List of participants in the sitting held on 12.09.2024 at 4:20 PM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST in the case of Shri Mahesh Kumar Meena, District-Dausa (Rajasthan) regarding harassment of ST employee by the Management of REC Ltd. Gurugram.

I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
	Name & Designation	**Phone No. and Address**	**Signature**
1	Shri Surat Singh, Director		
2	Shri H. R Meena, Research Officer		
3	Shri Neelmani Thakur, Consultant (Legal)		
4			
5			
6			
II	**REC Ltd**		
	Name & Designation	**Phone No. and Address**	**Signature**
1)	Shri V. K. Dewangan CMD, REC Ltd.	REC Sector-29, Gurugram	[signature]
2)	A. K. Tyagi, ED(HR)	REC 9873199263	[signature]
III	**Petitioner**		
1	Mahesh Kumar Meena	9722033690	[signature]